

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4483/पीबीआर/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 06.11.2013 पारित द्वारा  
अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 29/अ-70/12-13.

वचन कुमार गौर आ. रामेश्वर प्रसाद गौर  
निवासी ग्राम रजौरा कुर्मी तहसील सिवनी मालवा,  
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

महेश कुमार गौर आ. स्व. द्वारका प्रसाद गौर  
निवासी ग्राम रजौरा कुर्मी, तह. सिवनी मालवा,  
जिला होशंगाबाद, म.प्र.

.....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक  
श्री दीपक जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ३/५/१९ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 06.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम रजौरा कुर्मी तहसील सिवनी मालवा में आवेदक के पिता रामेश्वर प्रसाद एवं द्वारका प्रसाद की खानदानी भूमियां थीं। रामेश्वर प्रसाद एवं द्वारका प्रसाद आपस में सगे भाई थे, दोनों की मृत्यु हो गई है। उक्त खानदानी भूमियों का बंटवारा आवेदक एवं द्वारका प्रसाद के मध्य वर्ष 1997 में हुआ था। उक्त बंटवारा के अनुसार फर्द बटान तैयार की गई थी, जिसमें आवेदक एवं उसकी मां श्रीमती रविया बाई उर्फ सविया बाई तथा बहन गुलाब बाई को 23.14 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी तथा द्वारका प्रसाद को 23.13 एकड़ भूमि

प्राप्त हुई। आवेदक को भूमि बंटवारे में प्राप्त होने के उपरांत से आवेदक उक्त भूमि के कब्जे में होकर कास्तकारी करते चले आ रहा है और वर्तमान में भी उसका भूमि पर कब्जा है। इसी तरह द्वारका प्रसाद को जो भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई, उस पर द्वारका प्रसाद का कब्जा चला आ रहा है। बंटवारे के अनुसार उभय पक्ष कब्जे में रहे, लेकिन राजस्व अभिलेख संशोधित नहीं हो सके, जिसके फलस्वरूप फर्द बटान एवं आदेशानुसार जो भूमि आवेदक को प्राप्त हुई वह राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर दर्ज नहीं हो पायी और जो भूमि बंटवारे में द्वारका प्रसाद को प्राप्त हुई, वह राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर दर्ज हो गई। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर आवेदक ने तहसीलदार, सिवनी मालवा के न्यायालय में एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत किया और राजस्व इन्द्राजों को संशोधित करने का निवेदन किया गया। इसी दौरान अनावेदक ने एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रस्तुत किया और आवेदक को उसके कब्जे की भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही प्रारंभ की, जिस पर आवेदक ने संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही स्थगित करने एवं त्रुटिपूर्ण राजस्व अभिलेखों को संशोधित करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-70/09-10 दर्ज कर आदेश दिनांक 14.05.2013 से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध एक निगरानी अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 06.11.2013 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो में प्रस्तुत तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में विवेक का उपयोग किये बगैर आदेश पारित किया है और त्रुटि की है। उन्हें देखना चाहिए था कि आवेदन एवं द्वारका प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से तहसीलदार सिवनी मालवा के समक्ष बंटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रकरण क्र. 25/अ-27/96-97 दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में बंटवारे के अनुसार आवेदक उसकी मां रबिया बाई एवं बहन गुलाब बाई को जो खसरे नंबर प्राप्त हुये वे खसरा नंबर राजस्व अभिलेखों में आवेदक उसकी मां एवं बहन

के नाम पर दर्ज नहीं हो सके। इसी तरह द्वारका प्रसाद को जो नंबर बंटवारे में मिले थे, उस पर कब्जा आवेदक का चला आ रहा है। इस तथ्य को अनदेखा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि ग्राम रजौरा कुर्मा तहसील सिवनी मालवा की भूमि जो आवेदक उसकी मां एवं बहन को बंटवारे में प्राप्त हुई थी, लेकिन खसरा किस्तबंदी में उक्त नंबर उनके नाम पर दर्ज नहीं हो सके। आवेदक उसकी मां एवं बहन को बंटवारे में खसरा नं. 101 एवं 104 नंबर की भूमि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन राजस्व अभिलेखों में प्रतिवर्ष 101 एवं 104 आवेदक उसकी मां एवं बहन के नाम पर दर्ज कर दी गई। आवेदक उसकी मां एवं बहन को ख.नं. 111 रकबा 2.90 एकड़ में से 2.67 एकड़ भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई, लेकिन राजस्व अभिलेखों में ख.नं. 111/1 का रकबा 0.71 एकड़ आवेदक उसकी मां एवं बहन के नाम पर दर्ज हुई, इस तरह बंटवारे में अधिक भूमि प्राप्त हुई है, लेकिन राजस्व अभिलेख में कम भूमि त्रुटिवश दर्ज की गई। इस तरह आवेदक ख.नं. 111 में से 1.96 एकड़ भूमि कम प्राप्त हुई।

(3) राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को संशोधित करने हेतु आवेदक ने विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक ने यह निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख संशोधित होने के पश्चात् ही भूमि का सीमांकन कराया जाना चाहिए और यदि कोई भूमि किन्हीं भी पक्षों के कब्जे में गलत तरीके से पाई जाती है, तो उक्त भूमि वापस दिलायी जावे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जब तक भूमियों के खसरे नंबर पूर्व में हुये बंटवारे के अनुसार संशोधित नहीं हो जाते हैं, तब तक बेदखली की कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आवेदक जिस भूमि के कब्जे में चला आ रहा है, उस भूमि पर आवेदक उसके पिता के समय से काबिज होकर कास्तकारी करते चले आया। इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा करने में गंभीर त्रुटि की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि आवेदक एवं उसके पिता का ख.नं. 136 के रकबा 50 डिसमिल पर करीब 30-40 साल से बनता चला आ रहा है और उसी अनुसार आवेदक के पिता एवं आवेदक कब्जे में रहे हैं। खसरा नंबर 136 से लगा हुआ खसरा नंबर 121 है जो खसरा नंबर 123 एवं 125 से लगा हुआ है और बंटवारे में उक्त भूमि आवेदक

02/1

✓

को प्राप्त हुई है। खसरा नंबर 125, 123, 121 एवं 136 नंबरों की भूमियां एक दूसरे से लगी हुई हैं और भूमि समरूपण के रास्ते से अनावेदक की भूमि से विभक्त की गई है, इस तरह आवेदक के कब्जे की भूमि इकन्दर होकर एक चक में दर्शायी गई है।

(6) आवेदक के कब्जे में करीब 23.14 एकड़ भूमि है, इसी तरह द्वारका प्रसाद के कब्जे में बंटवारा अनुसार 23.13 एकड़ भूमि आई थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रों मुकेश, महेश एवं कन्हैयालाल को प्राप्त हुई है और उनका कब्जा है, यानी मौके पर बंटवारे के अनुसार उभय पक्षोंका भौतिक आधिपत्य है, लेकिन राजस्व अभिलेख संशोधित होने के कारण विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसे संशोधित करने हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में लंबित है।

(7) अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को नहीं समझ पाने में विधि की गंभीर भूल की है, उन्हें देखना चाहिए था कि पूर्व में वर्ष 1997 में हुए बंटवारे के आधार पर जब राजस्व अभिलेख विधिवत संशोधित नहीं हुये हैं, तब त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर सीमांकन कार्यवाही विधिवत नहीं है और त्रुटिपूर्ण सीमांकन के फलस्वरूप संहिता की धारा 250 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य ही नहीं रहा है, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

(8) अपर कलेक्टर ने यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण लिया है कि जब अंतरिम आदेश के विरुद्ध सक्षम वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही लंबित है, तब उक्त कार्यवाही में पारित आदेश से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वमेव निरस्त हो जाता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अनदेखा करने में गंभीर त्रुटि की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अतिरिक्त तहसीलदार, सिवनी मालवा के समक्ष लंबित प्रकरण की कार्यवाही संहिता की धारा 115, 116 के आवेदन के निराकरण तक स्थगित किये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तर्क का प्रथम बिंदु यह है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक वचन गौर को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि जब से म.प्र. भू-राजस्व संहिता में संशोधन हुआ

है, उसके बाद से किसी भी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश का पुनरीक्षण का एकल क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को है, तब जिस पुनरीक्षण को आवेदक स्वमेव निगरानी कहते हुए अपर कलेक्टर के समक्ष पेश किया था, वह स्वमेव न होकर वचन गौर के द्वारा प्रस्तुत किया था, जिसे सुनने का ही अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं था।

(2) द्वितीय बिंदु यह है कि जिस संहिता की धारा 115, 116 के आवेदन के आधार पर वचन गौर के द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष यह आपत्ति पेश की थी कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को संहिता की धारा 115, 116 के आवेदन के निराकरण तक रोका जावे, वह आवेदन पत्र तहसीलदार के द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 01/अ-6/11-12 ग्राम रजौरा कुर्मा पक्षकार वचन गौर वनाम कन्हैयालाल व अन्य में तहसीलदार के द्वारा दिनांक 02.11.2015 को आदेश पारित करते हुए खसरे की प्रविष्टि के संशोधन के बावत आदेश पारित किया जा चुका है और इस आदेश दिनांक 02.11.2015 को कन्हैयालाल, महेश एवं मुकेश तीनों वल्द द्वारका प्रसाद गौर के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष में चुनौती दी थी, जिसका अपील क्र. 6/अ-6/15-16 जिसके पक्षकार द्वारका प्रसाद, महेश, मुकेश वनाम वचन गौर थे, जिसमें दिनांक 19.07.2017 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 02.11.2015 निरस्त किया जा चुका है।

(3) तर्क का तृतीय बिंदु यह है कि वचन गौर एवं उसकी बहन गुलाब बाई के वारिसों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 19.07.2017 में विवादित भूमि के बावत एक व्यवहार वाद व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 में पेश किया था, जिसका व्यवहार वाद क्र. 10ए/14 था, जो दिनांक 12.01.2016 को निराकृत हुआ, जिसमें वचन गौर आवेदक ने भूमि खसरा नंबर 111/1 के सम्पूर्ण रकबा 2.67 एकड़ का भूमिस्वामी घोषित कराये जाने के लिए पेश किया था, किंतु व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा आवेदक को सिर्फ भूमि खसरा नंबर 111/1 रकबा 0.287 हैक्टेयर का भूमिस्वामी माना है।

(4) जिस संहिता की धारा 250 के प्रकरण के स्थगन किये जाने के आवेदन धारा 32 को निरस्त किये जाने के तहसीलदार उसके बाद अपर कलेक्टर के आदेशों को राजस्व मण्डल के समक्ष चुनौती इस निगरानी के माध्यम से दी जा रही है, वह स्थिति वर्तमान में समाप्त ही हो चुकी है, यानी कि संहिता की धारा 115, 116 के प्रकरण का ही अंतिम निराकरण हो चुका है और उसकी अपील भी निराकृत हो चुकी है और व्यवहार न्यायालय के द्वारा भी आवेदक को उस भूमि का मालिक नहीं माना है, जिस खसरे के रकबे की दुरुस्तगी आवेदक ने अपने आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 में मांगी थी। इस प्रकार आवेदक के द्वारा इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में जब आदेश दिनांक 12.08.2014

का पारित किया जा रहा था, उस समय के बाद वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हैं और आवेदक के द्वारा पेश निगरानी इकत्त तर्क में प्रकट की गई स्थिति के अनुसार फलहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

- 5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी मूलतः आवेदक की तहसील न्यायालय में इस अनुरोध को अमान्य करने पर उद्भूत हुई है कि उसका संहिता की धारा 115, 116 का आवेदन तहसील न्यायालय के समक्ष पृथक से लंबित है, उसका निर्णय पहले होना चाहिए। चूंकि वर्तमान में तहसील न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत संहिता की धारा 115, 116 के आवेदन का निराकरण किया जा चुका है, जिसकी अपील भी, जो कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निराकृत कर दी गई है। अब ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है, अतः प्रस्तुत निगरानी निरर्थक होने से समाप्त की जाती है।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर